आर्डर शीट
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील सं0 37/2024 अनवान *निलमचंद व अन्य बनाम अरविंद जैन वगैरा*

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.10.25	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट एवं अपीलांट के पूर्व अधिवक्ता तथा रेस्पो0सं0 3 व 7 के अधिवक्ता एवं प्रार्थी –जेठाराम व माणकराम जरिये प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10(2) एवं 151 सीपीसी के अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली के अनुसार प्रकरण में दिनांक 04.09.25 को अपीलांट्स द्वारा "प्रार्थना पत्र वास्ते अपील विड्रो करने" का प्रस्तुत किया गया, जो तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्यो में व्यस्त होने से अनिर्णित रहा। दिनांक 09.09.2025 को प्रार्थी–जेठाराम व माणकराम ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10(2) एवं 151 सीपीसी का अपीलांट के पूर्व अधिवक्ता को प्रति उपलब्ध करवाते हुए प्रस्तुत किया गया, जो तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्यो में व्यस्त होने से अनिर्णित रहा। दिनांक 17.09.25 को अपीलार्थी सं0 2–कन्हैयालाल स्वयं तथा बहैसियत खास मुख्तयानामा अपीलांट सं0 1 व 3 से 8 उपस्थित होकर "प्रार्थना पत्र वास्ते अपील विड्रो करने बाबत" प्रस्तुत किया गया, जिस पर अपीलांट के पूर्व अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से आपत्ति व्यक्त करते हुए कथन किया कि वह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का जवाब प्रस्तुत करना चाहते है, अतः इससे पूर्व अपील विड्रो का आदेश नही फरमावे। जिन्हें एक अवसर देते हुए पत्रावली में सुनवाई दिनांक 07.10.25 नियत की गई। दिनांक 18.09.25 को अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री गौतमसिंह चनेल द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया।	

अपीलांट के पूर्व अधिवक्ता की ओर से अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का जवाब प्रस्तुत नही हुआ। अपीलांट अधिवक्ता श्री गौतमसिंह द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देना आवश्यक नही होना बताते हुए प्रकरण में अपीलाथी सं0 2 तथा बहैसियत शेष अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते अपील विड्रो करने में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलार्थी स्वयं द्वारा दिनांक 4.9.25 को अपील विड्रो करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट्स पिछले काफी समय से छतीसगढ तथा कलकत्ता में निवास करते है, वो बार–बार जोधपुर नही आ सकते है। इनके द्वारा अपीलार्थी सं0 2 के पक्ष में खास मुख्तयारनामा निष्पादित किया है, जो नोटेरी से तस्दीक व प्रभावी है, जिसमें कार्यवाही हेतु अधिकार दिये हुए है। अपीलांट के पूर्व अधिवक्ता द्वारा उन्हें प्रकरण की पत्रावली व एन.ओ.सी नही दी जा रही है। इसलिए अपीलांट की इस्तदुआ पर उक्त अपील जरिये विड्रो निस्तारित फरमाने का आग्रह किया गया।

अतः प्रकरण में अपीलाथी सं0 2 स्वयं तथा बहैसियत खास मुख्तयार शेष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ''वास्ते अपील विड्रो करने बाबत' स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट की उक्त अपील जरिये विड्रोल खारीज की जाती है। साथ ही प्रकरण में पूर्व पारित स्थगन आदेश दिनांक 07.03.2024 निरस्त कर, आदेश । नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय लिखाया जाकर, सुनाया गया।

7/10/25

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर